

महाविद्यालय का संक्षिप्त इतिहास

खगौलवेत्ता आर्यभट्ट की जन्म स्थली खगौल में, यह महाविद्यालय दानापुर स्टेशन से सटे दक्षिण, 5 एकड़ रकबे में अवस्थित है। इनकी स्थापना बिहार के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी एवं इस क्षेत्र के मान्य समाजसेवी स्व० जगत नारायण लाल के नाम पर जून, 1959 में हुआ। स्व० जगत नारायण लाल, तात्कालिक बिहार सरकार में कबीना मंत्री भी रहे। इस महाविद्यालय का स्नातक स्तर का सम्बन्धन 1960 में तत्कालिन बिहार विश्वविद्यालय से हुआ एवं सन् 1980 में यह महाविद्यालय के मगध विश्वविद्यालय की एक अंगीभूत इकाई बना।

प्रस्तुत महाविद्यालय, समाज के ऐसे भी सभी कमजोर वर्ग के साथ ही साथ अन्य ऐसे शिक्षार्थियों की भी, जिनकी महात्वाकांक्षा शैक्षणिक योग्यताओं की है, उनके भविष्य तथा लक्ष्य की पूर्ति के लिए अनूठा अवसर प्रदान करने वाला इस क्षेत्र की एक मात्र प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थान है।

यहाँ इण्टरमीडिएट एवं स्नातक स्तर तक कला एवं विज्ञान संकाय में विभिन्न विषयों में प्रतिष्ठा एवं सामान्य पाठ्यक्रम की व्यवस्था है। वर्तमान प्रधानाचार्य के नेतृत्व में यह कॉलेज शिक्षा जगत में खगौल जैसे पिछड़े क्षेत्रों में नई चेतना का संचार किया है, यह कॉलेज विस्तार और विश्वास की अपार सम्भावनाएँ लिए मील का पत्थर, साबित होने जा रहा है। यू०जी०सी० के नवमी पंचवर्षीय योजनान्तर्गत यू०जी०सी० के अनुदान से चिर प्रतीक्षित 'पुस्तकालय भवन' का निर्माण किया जा चुका है।

यू०जी०सी० के दसवीं योजनान्तर्गत अनुदान से पुस्तकालय भवन की पहली मंजिल का निर्माण पूरा हो चुका है तथा प्रशासनिक भवन का निर्माण शुरू है। साथ ही महिला छात्रावास के लिए मिले अनुदान से निर्माण प्रस्तावित है।

अन्य उपलब्धियों में – स्वयंसेवक से सम्प्रेषित वोकेसनल डिग्री कोर्स **B.C.A., Bio Technology** की पढ़ाई शुरू है। महाविद्यालय पुस्तकालय को **Internal** से जोड़ दिया गया है। आशा है शिक्षा जगत में यह महाविद्यालय निकट भविष्य में इस परिवर्तनात्मक सदी में इसी प्रक्षेत्र को ही नहीं बल्कि पटना के आस-पास के दूरस्थ परिक्षेत्रों के युवाओं को शिक्षा-जगत में प्रेरणा देता रहेगा। कॉलेज परिवार इस क्षेत्र के अभिभावकों से सहयोग की अपेक्षा करता है।

प्रधानाचार्य

पाठ्य-विषय

कला एवं विज्ञान का नवीन पाठ्यक्रम उच्च माध्यमिक ;+2 स्तरीय पाठ्यक्रम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एवं बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2006 के आलोक में बिहार का यह नवीन पाठ्यक्रम (2007) भी 'शिक्षा' के बारे में एक विशिष्ट दृष्टिकोण पर आधारित है। इसके अनुसार, 'शिक्षा का मतलब बिहार के स्कूली शिक्षार्थियों को इतना सक्षम बना देना है कि वे अपने जीवन का, जिन्दा होने का सही-सही अर्थ समझ सकें, अपनी समस्त योग्यताओं का समुचित विकास कर सकें, अपने जीवन का मकसद तय कर सकें और उसे प्राप्त करने हेतु यथासंभव सार्थक एवं प्रभावी प्रयास कर सकें और साथ ही इस बात की भी समझ सकें कि समाज के दूसरे व्यक्ति को भी ऐसा ही करने की पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

बिहार के इंटर के वर्तमान पाठ्यक्रम एवं सी0 बी0 एस0 सी0 के वर्तमान पाठ्यक्रम के आधार पर निर्मांकित विषयों की पढ़ाई +2 स्तरीय शैक्षिक संस्थानों में करने का निर्णय मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार द्वारा लिया गया है -

भाषा समूह :-

1. हिन्दी
2. उर्दू
3. अंग्रेजी

उक्त भाषाओं में से प्रत्येक विद्यार्थी को 11 वीं 12 वीं कक्षा में अनिवार्यतः दो भाषाओं पढ़नी होगी। यदि कोई विद्यार्थी चाहे तो उक्त भाषा समूह में से कोई तीसरी भाषा भी ले सकता है। लेकिन यह तीसरी भाषा उसके ऐच्छिक विषय की सूची में रहेगी। भाषा समूह के उक्त विषयों के पाठ्यक्रम सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए एक जैसी होंगे।

वैकल्पिक विषय समूह :-

- गणित
- राजनीतिशास्त्र
- भौतिक विज्ञान
- मनोविज्ञान
- रसायनशास्त्र
- इतिहास
- जन्तु विज्ञान
- अर्थशास्त्र
- वनस्पतिशास्त्र
- दर्शनशास्त्र

उक्त विषय में से शिक्षार्थी को अनिवार्यतः तीन विषयों के अध्ययन करना होगा। इसके अतिरिक्त शिक्षार्थी चाहे तो उक्त दोनों विषय भाषा एवं वैकल्पिक समूह में से किसी एक विषय को ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ सकते हैं। अच्छा होगा कि ऐच्छिक विषय के रूप में शिक्षार्थी किसी एक कार्य आधारित व व्यावसायिक विषय का अध्ययन करें।

पाठ्य पुस्तकें :- नवीन पाठ्यक्रम के आधार पर राज्य में पहली बार 11वीं एवं 12वीं कक्षा के लिए विषयवार पाठ्य पुस्तकों का निर्धारण किया गया है। ये पाठ्य पुस्तकें बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा मुद्रित कर उपलब्ध कराई जायेगी। भाषाओं के अतिरिक्त सभी वैकल्पिक विषयों की पाठ्य पुस्तकें वही होंगी जिनका प्रकाशन एन0सी0ई0आर0टी0, नई दिल्ली द्वारा 11-12वीं की बोर्ड परीक्षा सूचनाएँ एवं मूल्यांकन के संबंध में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना सूचनायें प्रेषित करेगा।

11वीं की परीक्षा कॉलेज स्तर पर माध्यमिक बोर्ड के प्रश्न पत्रा के आधार पर होगी तथा उसका प्राप्तांक 12वीं परीक्षा से जोड़ा जायेगा।

स्नातक कला एवं विज्ञान प्रतिष्ठा

स्नातक कला एवं विज्ञान प्रतिष्ठा का पाठ्यक्रम तीन वर्षों का रहता है। प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालय के द्वारा परीक्षा ली जाती है। प्रतिष्ठा के विषय के चयन के साथ ही साथ दो सहायक विषयों का भी चयन करना होता है। एक अन्य विषय रचना भाषा एवं साहित्य का होता है।

महाविद्यालय का शैक्षणिक सत्रा 1 जून से 31 मई तक रहता है।

सामान्य दिनों में शिक्षण अवधि प्रातः 7.00 से संध्या 5 बजे तक है।

सूचनाएं सूचना पट्ट पर दे दी जाती है, जिन्हें छात्रों को रोज कॉलेज छोड़ने के पहले देख लेना चाहिए।

छात्रों को कॉलेज परिसर में किसी प्रकार की राजनीतिक सक्रियता की अनुमति नहीं है।

यदि कोई छात्र कॉलेज के बाहर किसी क्लब, परिषद् अथवा संस्था का सदस्य होना या बने रहना चाहता है, तो ऐसा करने से पहले उसे प्रधनाचार्य से अनुमति लेनी चाहिए।

कॉलेज के समय सड़क तथा बरामदे में भीड़ लगाना अथवा अन्य प्रकार से उधम मचाना सर्वथा वर्जित है। वर्ग नहीं रहने पर छात्रों को कॉमन-रूम अथवा वाचनालय में रहना चाहिए।

निर्धारित स्थान पर ही साईकिल रखनी चाहिए। साईकिल में अपना ताला लगा रहना चाहिए। चोरी होने पर कॉलेज की जिम्मेदारी नहीं होगी।

हिन्दी तथा अन्य भाषाओं के वर्गों में पाठ्य-पुस्तकों के साथ उपस्थित होना चाहिए। शिक्षकों को इस नियम का उल्लंघन करने वाले छात्रों को वर्ग से निष्कासित करने तथा उपस्थिति नहीं देना का पूरा अधिकार होगा। बार-बार नियम भंग करने वाले छात्रों पर अनुशासनिक कार्रवाई भी की जा सकती है।

कॉलेज परिसर में छात्रों द्वारा धूम्रपान अथवा अन्य तरह की नशाखोरी पूरी तरह वर्जित है।

छात्रों को अपनी परेशानियां या समस्याएं कुलानुशासक / प्रधनाचार्य के सामने रखनी चाहिए, जिससे उसे दूर करने में सहूलियत होगी। प्रधनाचार्य की अनुमति के बिना विश्वविद्यालय के अधिकारियों के पास जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी।

छात्रों से यह उपेक्षा होगी कि तोड़-फोड़, अराजकता अथवा आंदोलन से अपने को अलग रखेंगे।

सामान्य स्थिति में किसी भी छात्र को नामांकन की तिथि से एक साल तक स्थानान्तरण प्रमाण पत्र निर्गत नहीं दिया जायेगा।

छात्रों को अपनी के निदान के लिए पहले अनुशासन समिति से सम्पर्क करना चाहिए।

उपर्युक्त नियम के नहीं पालन करने पर तथा अनुशासनहीनता की स्थिति में छात्रों को महाविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है। वर्ग का संचालन वर्ग रूटीन के अनुसार चलता है। नामांकित छात्रों को नोटिस बोर्ड से या विभागाध्यक्ष से मिलकर वर्ग रूटीन लिख लेना होगा।

किसी भी विवाद के प्रसंग में प्रधनाचार्य के निर्णय अंतिम और मान्य होगा।

महाविद्यालय परित्याग प्रमाण-पत्र प्राप्ति के लिए छात्रों को विहित प्रपत्र में आवेदन करना होगा एवं आवेदन करने के एक सप्ताह बाद किया जाएगा परन्तु इससे लिए निम्नलिखित शर्तें हैं।

छात्र के नाम महाविद्यालय का शिक्षण या अन्य किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं हो।

महाविद्यालय परित्याग शुल्क के रूप में एक महीना का शिक्षण शुल्क जमा करना पड़ता है।

छात्रा को पुस्तकालय, खेल-कूद, प्रयोगशाला, एन0सी0सी0, एन0एस0एस0 विभिन्न विभागों से छात्र के नाम कुछ भी बाकी नहीं रहने का प्रमाण-पत्रा प्राप्त करना होगा।

नेशनल कैडेट कोर

नेशनल कैडेट कोर :- महाविद्यालय में एन0 सी0 सी0 की विधिवत एवं समुचित व्यवस्था है, इस कार्य के लिए, महाविद्यालय में भरती के लिए छात्रा सम्पर्क स्थापित करें। महाविद्यालय परिसर में ही यह कार्यालय अवस्थित है। महाविद्यालय के छात्र को राष्ट्रीय RD Parade में सम्मिलित होना आवश्यक है। विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति ने NCC के बारे में अपनी अभ्युक्ति दी है -

छात्रा B. Certificate एवं C. Certificate परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावे प्रतिरक्षा सेवा में प्रवेश करने में भी प्राथमिकता मिलती है।

राष्ट्रीय सेवा योजना

राष्ट्रीय सेवा योजना :- महाविद्यालय में छात्र-छात्राओं के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना प्रारंभ की गई है । गरीबी से त्रस्त, वर्तमान सामाजिक व्यवस्था का बदलने में युवा शक्ति का यथासंभव योगदान तथा राष्ट्र-निर्माण हेतु समाज सेवा कार्यों में संलग्नता की इस नयी योजना का उद्देश्य है । ठोस कार्य एवं प्रत्यक्ष अनुभव से प्राप्त यह शिक्षा कक्षा की शिक्षा का पूरक है । जो छात्रा छळ में भरती है, उन्हें निश्चित रूप से में नामांकन कराना आवश्यक है । इसके लिए महाविद्यालय में कार्यक्रम पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित करें ।

क्रीडा परिषद्

खेल-कूद प्रतियोगिता का सफलतापूर्वक आयोजन करते हैं ।

सांस्कृतिक परिषद्

सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जाते रहे हैं । जिसमें छात्रा, छात्रायें अपनी अभिरूचि दिखाते हैं । कॉलेज का छात्र अभिषेक विश्वविद्यालय स्तर पर के कार्यक्रम में गायन में प्रथम स्थान लाया है ।

पुस्तकालय (Library)

पुस्तकालय (Library) :- छात्रों एवं शिक्षकों के अध्यापन को ध्यान में रखकर महाविद्यालय में विविध विषयक उपयोगी ग्रन्थों का संग्रह किया गया है, जो प्रधानाचार्य की देख-रेख में वरीय सहायक तथा अन्य सहकर्मी सहायक पुस्तकालय के कार्यों का निष्पादन करते हैं ।